

# अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 40)

[6 दिसम्बर, 1978]

कुछ टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त  
उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध  
करने के लिए  
अधिनियम

भारण गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 है।

(2) यह 4 अक्टूबर, 1978 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

\* \* \* \* \*

**3. कुछ टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण—**<sup>2</sup>[(1) जब अनुसूची में उल्लिखित वर्णन का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य माल शुल्क के लिए निर्धारित किया जाता है तब ऐसे माल पर इस प्रकार प्रभार्य कुल रकम के <sup>3</sup>[पन्द्रह प्रतिशत] के बराबर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 को केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस प्रकार प्रभार्य शुल्क के संबंध में जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जो ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर पहले से संदत्त, उक्त अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क की बाबत या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन मुजरा देने के लिए या उसके बराबर ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क घटाने के लिए छूट का उपबन्ध करती है) के साथ पढा जाएगा।]

(2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत उपधारा (1) में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क उस उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य है और संघ के प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहीत किया जाएगा और उसके आगमों का राज्यों के बीच वितरण नहीं किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय और छूट से संबंधित उपबन्ध भी हैं किसी माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में, जहां तक संभव हो, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन उस माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

**4. निरसन और व्यावृत्ति—**(1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अध्यादेश, 1978 (1978 का 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

<sup>1</sup> 1986 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

<sup>2</sup> 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 84 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[अनुसूची  
[धारा 3 देखिए]  
टिप्पण

1. इस अनुसूची में “शीर्ष”, “उपशीर्ष”, “टैरिफ मद” और “अध्याय” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और अध्याय अभिप्रेत है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और पहली अनुसूची के अनुभाग तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के नियम, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के वर्गीकरण के प्रयोजनों के संबंध में लागू होंगे।

क्रम सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	रेशम, अर्थात् अध्याय 50 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
2.	ऊन, अर्थात् अध्याय 51 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, शीर्ष संख्या 5111, 5112 और 5113 के फ़ैब्रिक से भिन्न।
3.	कपास, अर्थात् अध्याय 52 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
<sup>2</sup> [4.	पट्टी और मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री की वैसी ही, अर्थात् सभी माल जो अध्याय 54 के अंतर्गत आता है।]
5.	मानव निर्मित स्टैपल फाइबर, अर्थात् अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
6.	शीर्ष संख्या 5802 के अंतर्गत आने वाला रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रोंआदार फ़ैब्रिक।
7.	शीर्ष 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 के फ़ैब्रिकों से भिन्न टूल और अन्य जाली फ़ैब्रिक, जिसके अन्तर्गत व्यूतित, बूने हुए या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक नहीं हैं; लेस नग में, पट्टियों में या मोटिफ में।
8.	बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक अर्थात् अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल।
9.	शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाला धात्विकृत सूत।
10.	शीर्ष 5810 के अंतर्गत आने वाली काशीदाकारी, नग में, पट्टियों में या मोटिफों में।]

<sup>1</sup> 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 118 और ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित।